<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-18/2018/एन0जी0टी0382/55-पर्या-2-18/68(पर्या)/2018</u>

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 दिसंबर ,2018

विषयः- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विभिन्न वादों में भूतपूर्व न्यायमूर्तिगण की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्यूनरेशन की व्यवस्था हेतु राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-656/पर्या/एन0जी0टी0मॉनिटरिंगकमेटी/2018 दिनांकः 26 सितंबर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ0ए0 संख्या-200/2014, ओ0ए0 संख्या-231/2014, ओ0ए0 संख्या-116/2014 एवं ओ0ए0 संख्या-164/2018 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटियों के लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्यूनरेशन आदि की व्यवस्था हेतु रू0 500.00लाख (रू0 पांच करोड़ रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्या-45, लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04 -प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत(-) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था के अंतर्गत श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्तानुसार/अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों / मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000- राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्या-45 के अधीन लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत(-) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1133/दस-2018, दिनांकः 06-12-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग का पृष्ठांकन संख्या-ई-7/2018सी0एफ0सं0-002, दिनांक-06-12-2018

प्रतिलिपि महालेखाकार(रिपोर्ट ब्रांच), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(ओम प्रकाश द्विवेदी)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग।

संख्याः /2018/एन0जी0टी0382(1)/55-पर्या-2-18/68(पर्या0)/2018 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।